




**Social
Security
Now!**

POORA KAAM, POORA DAAM
POORI SURAKSHA, POORA MAAN

VULNERABILITIES OF DALITS, ADIVASIS, WOMEN AND MIGRANTS: THE NEED FOR SOCIAL SECURITY

**NATIONAL CONVENTION ON SOCIAL SECURITY
FOR UNORGANISED WORKERS**

January 8-10, 2010




VULNERABILITIES OF DALITS, ADIVASIS, WOMEN AND MIGRANTS: THE NEED FOR SOCIAL SECURITY

NATIONAL CONVENTION ON SOCIAL SECURITY FOR UNORGANISED WORKERS

January 8-10, 2010

- ◆ Social Exclusion and Unorganised Workers
NCDHR-NFDLRM
- ◆ Adivasis and Social Security
NFFPFW
- ◆ Women and Social Security
PWESCR
- ◆ Migrants and Social Security
CEC
- ◆ Financing Social Security - The 10 per cent Option
FEDINA



Social Exclusion and Unorganised Workers

Dalits (Scheduled Caste) constitute 16.2% of the total population of the country (2001 census). Eighty one per cent of the Dalits live in rural areas and mostly depend on work in the primary sector, agriculture, forestry, animal husbandry, and fishing. Many of the customary practices like drum beating, washing, hair cutting, load carrying, weaving, basket making, manual scavenging, traditional birth attendant, sweeping, messengers, domestic servants, cleaning and sweeping, cleaning dead animals, cow rearing, forest produce collection and processing, bamboo and cane work, rope making, stone works, farming, trolley and rickshaw pulling, brick making, etc are also done by Dalits in rural areas. These works are traditional and customary in many villages of our country.

Dalit workers are doubly discriminated against: first, as a worker of the unorganized sector and secondly as a member of a socially discriminated group. Dalit workers face untouchability and discrimination at the workplace both by employers and fellow workers of upper caste communities. There are no fixed working hours, fixed wage rates or any social security benefits. The occupations where scheduled castes are employed should be brought within the ambit of labour legislations like Minimum Wage Act and social security coverage to provide protection for wages and working conditions.

As per 1991 census 49.06% of Scheduled Castes are agricultural labourers, compared to 19.66% belonging to other categories, which by itself is sufficient to establish the wide gap in economic status between the two. This is largely because the scheduled castes have very poor access to land and even when they are recorded as cultivators, many of them cultivate land as tenants or share croppers and have very small area of land to operate. Their status as agricultural labourers directly accounts for the higher level of poverty. Nearly 75% of scheduled castes primarily depend on agriculture for employment.

Land and wage are the major reasons for atrocities against Dalits in rural area. The year 2007 has witnessed an increase of 10.9% in crime against Scheduled Castes as 27,070 cases were reported in 2006 which has increased to 30,031 cases in 2007. This increase was observed in all heads except Dacoity, Robbery and cases under Protection of Civil Rights Act.

The National Human Rights Commission on its report on Prevention of Atrocities against Scheduled Caste recommended that cases of violence against SCs resulting from non-payment of minimum wage should be brought within the ambit of section-3 of the SC/ST (PoA) Act-1989 and should merit higher punishment than what is admissible under the minimum wage Act. Dalit unorganized workers are more prone to untouchability and caste discrimination by employers, and certain occupations are being denied to Dalits in the name of caste. For example, Dalits cannot go for dairy farm, grocery, hotels and tea shops in the village because other caste Hindus will not accept this in the village as they are impure. Social security must, then, include social protection and dignity of Dalit labourers at their workplace.

As per the estimate of the programme evaluation organization of the planning commission,

83% of the total numbers of bonded labours belong to SCs and STs (Special report of the NCSC and STs, Atrocities on SCs and STs). Bonded labour has been listed in Section-3. (1) (VI) as an atrocity under SC/ST (PoA) ACT-1989. The bonded labour system, far from disappearing, has acquired new forms. Besides agriculture and stone quarries the practice is now extending to manufacturing industries such as garments. There is increasing casual and contract labour in sectors such as mining, industry, aquaculture, crusher, construction with absence of any social security benefits.

The Government supported infrastructure development programmes in rural areas undertaken by contractors are also violating the objectives of ensuring employment and labour welfare by using mechanics (machines) and avoiding labour legislations. The DRDA, Block, and Panchayats are not paying any special attention to the plight of workers engaged by contractors in government programmes.

Dalit workers hamlets have no sanitary facilities such as latrines, drinking water, electricity, drainage line, linking road, etc. The village common property and resources such as the village pond, water bodies, bathing ghats, forest, grazing lands, cremation ground, play ground, community center, etc. are inaccessible to untouchable communities in the village. Dalit women workers are victims of sexual harassment at the workplace beside, and they do not get minimum wage and equal wage. Maternity benefits and health care is highly required for Dalit working women in rural areas and urban slums. There have been complaints against rural health workers that they practice discrimination against Dalits during service delivery. Dalit children are not allowed to sit with fellow students during dining of mid day meal and Dalit cooks are not allowed to prepare the food – rather they are forced to do washing and cleaning and collecting fuel woods. There has been a visible underrepresentation of Dalits in the NGO sector, trade unions, cooperatives, media and workers organizations in the country which need to be given special attention for the effective implementation of social security measures in rural villages and urban slums. Dalit workers are untouched by trade unions and trade unions very rarely address the issue of discrimination in employment market and untouchability and caste bondage in rural areas in relation to employment.

Social security measures should create an environment for Dalits to live with dignity as human beings equal to others not as mere beneficiaries of welfare programmes. Social security measures should help them to be assertive and to enjoy all constitutional guarantees as citizens of the country who are contributing a major portion to the GDP of the country. The contribution of Dalits in nation building needs to be acknowledged and recognized by the government and civil society.

*Manas Jena and K.Vinaya Kumar
National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) and
National Federation of Dalit Land Rights Movements (NFDLRM)
Email:nfdlrm@gmail.com*

Social Security and Adivasi

About 80 million adivasis are living in different states, mostly in the interior areas, in India. Most of these areas are rich in natural resources on which adivasis traditionally depend for their livelihood, security and cultural identity. Since the colonial period, and even after the independence, the Indian state has been attacking the adivasis to continue their “eminent domain” over natural resources i.e. land, forest, water and mineral resources. Adivasis have been denied their due share in the wealth generated through exploiting their assets and have been massively displaced from their land and prohibited from accessing it. This loss of access to land has had its worse impact on women. Though there are varying estimates on the number of people displaced for development in India – with some estimating 18.5 million, some as high as 50 million people, and with even higher figures for indirect displacement – in almost all these estimates tribals and adivasis constitute almost 50 per cent of those displaced, and those not yet displaced or settled in alternate areas live under the constant threat of displacement.

Adivasis have never been allowed any democratic space to fight for their livelihood rights, social security, labour rights and above all to live with dignity. According to estimates about 85 per cent of Adivasis live below the official ‘poverty line’. The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes found that 83 per cent of the total bonded labourers come from the STs. Adivasis who mostly work as forest workers are paid extremely low wages and have no social security benefits. While forest workers are entitled to minimum wages, in most cases the wage is far below what is necessary for survival. In fact, Gujarat and Rajasthan have even exempted this employment from the provisions of the Minimum Wages Act. They are denied all other benefits such as leave, maternity benefits etc. In 1969, the National Labour Commission recommended permanent settlement and farming rights for Adivasis. However, the government has not established any uniform policy on this.

Given this historical context, social security is a very important issue for the adivasi and especially for the displaced families. Most adivasis do not have a permanent occupation as they are either working as migrant labourers or contract labourers or bonded labourers. Seldom do they have any permanent address, which is a prerequisite to be included in any welfare schemes of the government (both central and state).

It is thus pertinent to understand the problem of social security for the adivasi in the larger social and political context in the prevailing development paradigm. It is important to protect basic human rights and the state has to tackle the key issue of preventing direct attack on adivasi by state forces (army and Para-military) as a necessary precondition towards ensuring social security for adivasis. It is important to ensure that the inalienable rights of adivasis to the forests, lands and rivers, guaranteed to them by the International charter of UNHRC and ILO and to uphold their rights as citizens living in forest areas, as ensured by forest rights Act, 2006. Displacement has to be prevented. Adivasis need to be ensured livelihood rights and right to livelihood loss compensation. Old age benefits, maternity benefits, health and accident care benefit are a must for adivasis. In this process, involvement of community organisation and its leadership is a must.

Ashok Choudhary
National Forum of Forests People and Forest Workers (NFFPFW)
Email: ashok.chowdhury@gmail.com;

Women and Social Security

- ◆ I work without rights.
- ◆ Do you care?
- ◆ Most women work.
- ◆ But most women are not seen as workers
- ◆ They have no social benefits or protection
- ◆ Worse, they have no rights as workers

Most women work whether paid or unpaid. Despite its obvious economic and social worth, much of the work that women do remains 'invisible' in national accounting and censuses and even while defining the 'informal sector' and assessing its contribution to the GDP. Estimates based on the National Sample Survey (NSS) 1999-2000, women are said to account for one-third, about 118 million unorganised workers in India. These figures would be much larger if the unpaid work done by most women is recognized and included. Nearly 95% of all female workers in India are engaged as unorganised workers.

The non existence of social security provisions for unorganised workers therefore means that an extremely large section of women in the country remain unprotected. None of the Bills concerned with the unorganised workers that have been circulated prior to the passage of the current Act take unpaid women workers into account. Demand for social security for unorganised workers must ensure that unpaid women workers are recognized as unorganised workers, they are eligible for social security entitlements and social security is available to the unpaid women workers equally.

The Unorganised Workers Social Security Act, 2008, apart from excluding unpaid workers, also left out several categories of paid work where women dominate. It is important that all women workers be included in the definition of unorganised workers, including unpaid workers, domestic workers, sex workers, entertainment workers, migrant workers - seasonal and permanent, street vendors, pre-agricultural and hunter gatherer communities.

Insecurity of employment is a major vulnerability that most women face. They are engaged in seasonal in work. They are predominant in sectors where there is steady loss of employment without a corresponding creation of new avenues for work due factors such as technological changes, entrance of big domestic and multinational companies, increased imports, forced displacement and government policies. Guarantee of employment is the most basic social security need of women. Social security provisions must ensure that women workers are guaranteed year round employment and unemployment benefits are available to all workers equally irrespective of the employment status of any other family member.

Gender based wage disparities exist across all sectors and occupations. While unorganised male workers are paid wages far below the minimum wage standards, women workers are paid even less. Social security provisions must ensure that workers are paid living wages which enable them to have an adequate standard of living, floor level wage must be fixed based on the living needs for all workers, and once this floor level wage is set occupation

or sector wise minimum wages must be fixed and all women workers should have equal remuneration.

All women should be entitled to social security benefits as independent citizens and not as dependents on male earning members or as part of the family/household. Social security for the unorganised workers must ensure that women are not treated as dependents on male family members and assumed that they are automatically covered by social security coverage. Every woman must have a workers identity card in her own name.

Many women workers retire from paid work at an early age, due to ill health or simply because they stop getting employment. The absence of old age security provisions leaves them unprotected. Social security for unorganised workers must include a demand for provision of adequate pension to retired women workers, widows and single women and should provide for old age support. The amount of the pension must be based on living wages and accrue directly to the worker.

The most productive years of a woman's life are the reproductive years. The absence of maternity entitlements often means that a woman worker has to leave her job to have a child. With the near absence of any effective primary health care system in the country, most women are forced to have children at home without any medical care. A majority of the women and their families are unable to bear the burden of hospitalization costs. Even when they opt for hospitalization, additional medical expenses and loss of employment makes women economically vulnerable. Absence of maternity entitlements also means that a woman is unable to take care of her nutritional needs before and after the pregnancy and get adequate rest, and is compelled to start working soon after child birth. Social security for the unorganised workers must ensure that maternity entitlements including paid leave are available to all women, whether employed or not, in terms of hospital and medical expenses and these maternity entitlements include paid maternity leave of at least 12 weeks. There must be provision for financial support during childbirth so as to promote the health of mother.

The absence of child care provisions means that the burden of work on women is increased tremendously, affecting their health and work participation. Social security for unorganised workers must include childcare provisions from the point of view of women workers. Provisions aimed at ensuring protection and promotion of nutritional needs of mother and child must be included such as time breaks for nursing once the mother rejoins work.

For women workers, their own health and ability to work is usually the only resource they can fall back upon. They are the most vulnerable in this regard because their health and nutrition needs are the lowest priority within the family. Women in the poorest households are the least likely to receive medical attention. Social security for the unorganised workers must ensure: health care, which provides protection during contingencies like minor and major illnesses and accidents at work and "non contingencies" such as including HIV/AIDS, special provisions for mental health and differently abled women and widespread shelters and short stay homes and other support service (counseling, legal aid, job training etc.) by the state (through Zilla Parishads / municipalities/municipal corporations) for girls and women survivors of domestic violence, sexual assault and trafficking.

Sexual harassment and violence at the workplace is a threat faced by all women workers. Social security for unorganised workers must ensure that complaint and redressal mechanisms against sexual harassment at the workplace following the Vishakha guidelines

are put in place, keeping in mind the specific concerns of unorganised women workers. The employment security of a female worker-complainant must be guaranteed.

In general, women are usually not land or property owners. Social security for the unorganised workers must ensure that benefits are not tied to land or property and all housing schemes under social security provisions should ensure that titles are in women's name or are in joint names.

Depending solely on contribution based, social insurance types of schemes to provide old age, disability pensions will be disadvantageous for women because most women are engaged in either unpaid or low paying jobs. Most women also have many interruptions in their working life due to child birth and domestic work at home. Their capacity to contribute to such schemes, that too on a regular basis is low.

The social security for the unorganised workers must ensure floor level social security to all women, irrespective of their ability to contribute to social security schemes. Floor level social security should include food security, primary health care, adequate shelter and provision for education, especially for the girl child.

Women workers are usually at the lowest-paid end of any sector, they are usually termed as unskilled. Skill training and up gradation of skills for women workers on a widespread and continuous scale is important. Social security for the unorganised workers must guarantee that opportunities for skill development would ensure labour market entry and upward mobility to all women.

Women workers usually find themselves excluded from participation in decision making regarding the administration and implementation of labour laws, even when there is provision for equal participation of workers and employers. Social security for unorganised workers must ensure that women workers are involved adequately and proportionally at all stages including the drafting, administration and implementation of this Bill. Mechanisms for grievance redressal must be women friendly.

Programme on Women's Economic Social and Cultural Rights (PWESCR)
Email: pwescr@pwescr.org

Migrants and Social Security

India is one of the world's largest migrant sending countries (20 million migrants according to World Migration Report 2005). Historically, skilled, semi-skilled, and unskilled Indian men and women have migrated to a variety of locations across the globe. While compelling individual and structural 'push' and 'pull' factors related to labour, conflict, security, and disasters underpin Indian citizens' migration overseas, equally compelling concerns draw others to India, including India's strong and stable political economy that stands out in the region. Moreover, there have been labour-market openings over the last decade or so in western economies and the Indian state's preference that Indian workers take advantage of these opportunities. However, here is a persistence of the fundamental contradiction of globalization whereby capital and goods are exchanged under increasingly borderless conditions, but where the mobility of people is increasingly restricted under strict border controls and national security interests.

There are a huge number of in migrants in India from various countries. Among countries hosting migrants from other nations, India was placed eighth in the world in 2005, according to the United Nations Trends in Migrant Stock: A 2005 Revision. The top eight include the United States (38.4 million), Russian Federation (12.1 million), Germany (10.1 million), Ukraine (6.8 million), France (6.5), Saudi Arabia (6.4), Canada (6.1), and India (5.7). Nepalese and Bangladeshi nationals are most likely the largest groups of in-migrants to India. However, given the porousness of India's borders and the preponderance of undocumented modes of entry into (and through) the country (particularly from neighbouring countries), this figure is likely to constitute a poor approximation of the real numbers.

It has been observed in the past few decades that there is a growing importance of international migration as a source for global exchange and revenue generation. Migration is also seen as a rapid route out of poverty. Studies suggests that if global trends over the last thirty years continue, temporary migration to industrialized countries may lead to gains of as much as US\$ 300 billion a year in 2025, shared equally between people in developing and developed countries (World Bank 2006). Much of the gain would come from the migration of unskilled workers to meet labour-market needs.

Migrant workers face adverse, unsafe and hostile situations. They live and work in inhuman conditions and are denied human rights or labour rights. These workers and their family members deserve social security protections from the state. Cross-border migrant Indian workers are denied social security protections in the countries of destination because they are unorganised temporary workers, working as construction workers, cleaners, domestic workers, paramedical workers, guest workers for rescue operations abroad and in such other occupations in service sector and many of them are self-employed. Their family members also remain without social security protections. Many returnees face harsher situations. Migrants within India are also in similar vulnerable situations. Internal migrant workers within India face similar kinds of discrimination, inequality xenophobia, remain vulnerable and are denied social security protections.

Migrant workers generate economic development and prosperity but are denied human rights and rights of social protection like medical care, old age pension, accident care and

compensation, maternity entitlements, unemployment cover which is generally given to all employees in organized industry.

Moreover, due to the global economic meltdown, it is estimated that over 30 million workers lost their regular jobs and joined informal employments at much lower wages with no social security protections. The slowdown in construction, failing agriculture and excessive labour supply created a situation of all-round massive retrenchment or job losses or non availability of jobs. Working people became poorer. The worst hit are approximately 350 million unorganised interstate and intrastate migrant workers engaged in construction, domestic service, textile, transport, manufacturing, tourism and entertainment sectors and in self employments in services. The job losses in the Middle East and other developing countries compelled many Indian workers to come back. The loss of employment and livelihood caused huge return migration and aggravated the situation of vulnerability of workers, causing erosion of social security protections.

The policy of government to withdraw from sustaining and improving health and education infrastructure worsened the situation and rendered workers more socially unprotected. The NREGA and other charity type schemes have proven to be eye wash as workers unions and people's groups are not effectively involved in decision making and their administration. The economic crisis has posed this challenge with more intensity in India context to pressures from World Bank and WTO which promote policies of diluting state control over public policy and compel state to withdraw from health, education and to encourage private insurance markets to provide social security to workers.

The 'Unorganized Workers Social Security Act' (UWSSA) 2008 neither shows any substantial state contribution for creating social security fund nor envisages adequate or effective provisions for medical care, pension, maternity benefit, etc. It does not provide for unemployment allowance and compensation for loss of livelihood. It does not cover unorganised cross-border temporary migrant workers (immigrants and emigrants). Therefore the definition of unorganised workers needs to include these 'cross border migrant workers' in under a sub-clause of definition as: Provided father that cross border migrant workers shall be considered unorganized worker for the social security protections along with their family members in India under this Act. The Act should incorporate provision of framing special social security protections (for cross border migrants both in India and Indians abroad as well as inter-state migrants) to cover all adverse situations which they face and the requirements of their dependent family members in the place of origin.

Centre for Education and Communication
Email: cec@cec-inda.org

Financing Social Security: the 10 per cent Option

The 10 per cent Option promotes a federative move to back up an efficient measure geared towards improving local as well as global human security: the implementation in all countries of 10per cent reduction in military expenditures and arms trade to be converted into social investments to develop access to basic rights such as social security, health and education for all.

Safety ranks high on the list of the universal human rights. The basic needs of human security go far beyond national security concerns to encompass all forms of economic and social insecurities which badly and often violently affect people in their day-to-day lives. The alleviation of the most massive form of insecurity that is poverty is thus a major component of the global human security agenda.

All historical experiences attest that no social progress has ever been achieved without mobilizing the capacities of the people to voice their demands, to protest and propose publicly, to contest and address the political and economic powers and policies: basic human rights, social rights and political rights are strongly inter-linked and shall be activated jointly to combat poverty effectively and develop democracy.

Unfortunately, in many countries, democratic rights are being restricted by overt and often covert militarization of the regime and the society. The extension of the arms race, the persistence of forged or fuelled nationalistic antagonisms and the development of "war policies and industries" are directly related to the degree of penetration of military interests into the political, economic and mediatic spheres, in the North as well as in the South. The demand for "less arms and more rights" put forward by the 10per cent Option is thus crucial in order to curb the militarization trends and boost democratic and social developments.

Grassroots activists are daily experimenting with the relevance and the efficiency of empowering poor people to wage non-violent fights for rights in their quest for liberation from want and fear. The culture of non-violence is being promoted by the UN in a context of growing concern over the influence of various forms of terrorism on populations at large and youth in particular. All these efforts are bound to have limited impact so long the democratic agenda is not presented as a clear political commitment to non-violent resolutions of social conflicts, and so long as violence continues to be promoted as legitimate priority for dealing with international conflicts. Regarding the fundamental stand to reduce all forms of violence by non-violent democratic means, coherence is a key factor for credibility and efficiency.

Hence the need for extending the agenda of non-violence to the States by supporting the 10per cent Option, adopting non aggressive national defense policies, reducing arms production and arms trade, promoting "no war zones" through regional cooperation agreements.

There is a growing concern over the gross unbalance which prevails between the massive military expenditures and the meagre amounts invested in development. At the global level, the military and weaponry expenses keep increasing and exceed already 1,100

billions US dollars per year. According to UN estimations, a mere 10per cent cut would be sufficient to finance the eradication of poverty.

Thus the 10per cent Option proposes to examine rationally, the possibilities and advantages of striking a new balance within national budgets and public investments to combine sustainable defense and social development policies to better serve the security needs of the people: national security needs, by adopting defensive policies, much safer and much less expensive than offensive and wary policies; social security needs, by increasing social development investments, including all forms of social protections as a major non-violent tool to combat poverty, boost development and erase brutal inequalities.

As far as military and weaponry policies go, too few people have access to information and decisions which directly concern the lives of billions of people and the allocation of huge amounts of public money. The lack of democratic control on such crucial issues is neither healthy nor safe; it does not guarantee that data cannot be manipulated by vested interests with no genuine concern for the security of the people. In the same way, the control on the allocation of funds and implementation of schemes related to social development is equally required.

In this respect, the 10per cent Option is committed to enlarging the circulation of information and the involvement of social actors and representatives from the civil society at large to debate and follow-up all policies related to the security of the people and to monitor the 10per cent conversion process.

Multilateral negotiations and agreements provide the most relevant frame to conceive and conduct disarmament policies. With the worrying limitation that the vast majority of the people and the countries are so far completely dependant on the positions taken by the biggest military powers and arms producing States. In this context, the 10per cent Option opens the door to sustainable unilateral moves which can reinforce multilateral efforts, initiate new national policies and international alliances between those countries, in the North and in the South, who strongly feel the need to secure more autonomous defense policies without nuclear and other mass destruction weapons, reduce their dependency on arms trade and war industry, enlarge their capacity to develop economic and cultural co-operations and ensure basic social and democratic rights to all.

The 10per cent Option provides readily available public financing for strategically social investments. For instance: in India it could initiate the financing of the unorganised workers social security scheme which is debated by the Parliament.

Hence the 10per cent Option offers the possibility for any country, irrespective of its size, to engage safely in an alternative approach of international influence, not based on military muscle, but on moral and political commitment to the peace and social justice agenda, and to take part into the lead towards a global new deal for human security.

Foundation of Educational Innovations in Asia (FEDINA)

(the full text can be accessed at

<http://www.fdh.org/The-10-Option-towards-a-global-new.html?lang=en>)


Email: fedinabl@gmail.com

संकट से जूझते दलित, आदिवासी, महिला एवं प्रवासी कामगार: सामाजिक सुरक्षा की जरूरत

असंगठित मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा
पर राष्ट्रीय सम्मेलन

8-10 जनवरी, 2010

- ◆ सामाजिक बेदखली और असंगठित श्रमिक
एनसीडीएचआर-एनएफडीएलआरएम
- ◆ सामाजिक सुरक्षा और आदिवासी
एनएफएफपीएफडब्ल्यू
- ◆ महिलाएं और सामाजिक सुरक्षा
पीडब्ल्यूईएससीआर
- ◆ प्रवासी एवं सामाजिक सुरक्षा
सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)
- ◆ सामाजिक सुरक्षा वित्तापोषण : 10% कटौती का विकल्प
फेदिना



सामाजिक बेदखली और असंगठित श्रमिक

2001 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश की आबादी में दलितों (अनुसूचित जाति) की संख्या 16.2 प्रतिशत बैठती है। दलितों में से 81 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और मुख्य रूप से खेती, वानिकी, पशुपालन और मछली पालन आदि उत्पादक व्यवसायों में काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग उत्सवों में ढोल बजाने, लोगों के कपड़े धोने, बाल काटने, सामान ढोने, बुनाई, टोकरी बनाने, हाथ से मैला साफ करने, दाई का काम करने, झाड़ू लगाने, संदेश पहुंचाने, साफ-सफाई करने, मरे हुए जानवरों को हटाने, गाय पालने, वन उपज संग्रह, प्रसंस्करण, बांस व छड़ी के काम, रस्सी बनाने, पत्थर के काम करने, खेती, रेहड़ी और रिक्शा चलाने, ईंट बनाने जैसे कठोर परिश्रम वाले काम भी करते हैं। बहुत सारे गांवों में इन कामों को विभिन्न समुदायों का परंपरागत और स्थायी कार्य माना जाता है।

दलित मजदूरों के साथ दोहरा भेदभाव होता है। एक तरफ तो वे असंगठित क्षेत्र के मजदूर की हैसियत से पिसते हैं, दूसरी तरफ वे सामाजिक रूप से वंचित तबके के सदस्य हैं। दलित मजदूरों को कार्यस्थल पर नियोक्ताओं और सवर्ण सहकर्मियों, दोनों के हाथों भेदभाव झेलना पड़ता है। वे जो काम करते हैं उसमें न तो काम के घंटे तय हैं और न ही मजदूरी की दर या सामाजिक सुरक्षा प्रावधान तय किये गये हैं। दलित जो काम करते हैं उन सभी व्यवसायों को सख्ती से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कानूनों के तहत लाया जाना चाहिए। इन सभी कामों में लगे लोगों को मजदूरी और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत लाया जाना चाहिए।

1991 की जनगणना के अनुसार 49.06 प्रतिशत अनुसूचित जातियां खेतिहर मजदूरी करती हैं। अन्य श्रेणियों में ऐसे लोगों की संख्या 19.66 प्रतिशत है। इससे साफ पता चलता है कि अनुसूचित जातियों तथा अन्य समुदायों की आर्थिक हैसियत में कितना भारी फासला है। इसकी मुख्य वजह यह है कि अनुसूचित जातियों के पास बहुत कम जमीन है और अगर उन्हें काश्तकार के रूप में दर्ज किया जाता है तो भी उनमें से ज्यादातर पट्टेदार या बंटवाईदार ही होते हैं और उनके पास बहुत थोड़ी जमीन होती है। खेतिहर मजदूरों में उनकी इतनी बड़ी संख्या उनकी भारी गरीबी का एक मुख्य कारण है। अनुसूचित जातियों के लगभग 75 प्रतिशत लोग रोजगार के लिए मुख्य रूप से खेती पर आश्रित हैं।

ग्रामीण इलाकों में दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों की जड़ में जमीन और मजदूरी सबसे बड़े कारण रहे हैं। सन् 2007 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ हुए अपराधों में 10.9 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया था। 2006 में ऐसे 27,070 मामले प्रकाश में आये थे जब कि 2007 में 30,031 मामले दर्ज किये गये थे। यह इजाफा डकैती, लूटपाट और नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों के अलावा सभी श्रेणियों में दिखायी दिया।

अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार निषेध पर केंद्रित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने की वजह से अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाली हिंसा के मामलों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम 1989 के अनुच्छेद 3 के तहत लाया जाना चाहिए और उन्हें इससे कहीं ज्यादा सजा मिलनी चाहिए जितनी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत फिलहाल दी जाती है। दलित असंगठित मजदूर अपने मालिकों के हाथों छुआछूत और जातीय भेदभाव का भी जमकर शिकार होते हैं। जाति के नाम पर दलितों को कुछ व्यवसायों से लगातार बाहर रखा जाता है। उदाहरण के लिए, दलित डेयरी फार्म, परचून की दुकान, होटल और चाय की दुकान नहीं खोल सकते क्योंकि गांव के सवर्ण हिंदू इसे अच्छा नहीं मानते। लिहाजा, दलितों के लिए सामाजिक सुरक्षा में न केवल दलित मजदूरों को सामाजिक संरक्षण मिलना चाहिए बल्कि उन्हें कार्यस्थल पर उचित सम्मान का भी आश्वासन मिलना चाहिए।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संस्थान के एक अनुमान के अनुसार बंधुआ मजदूरों में से 83 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों से पाये गये हैं (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के बारे में विशेष रिपोर्ट)। बंधुआ मजदूरी को अनुच्छेद 3(1)(6) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम 1989 के तहत एक अत्याचार के रूप में दर्ज किया गया है। इसके बावजूद बंधुआ मजदूरी का चलन खत्म होने की बजाय दिनोंदिन नये रूप ग्रहण करता जा रहा है। खेती और पत्थर की खदानों के अलावा अब यह प्रथा परिधान आदि विनिर्माण उद्योगों में भी फैल गयी है। खनन,

एक्वाकल्वर, क्रशर, निर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिहाड़ी और ठेका मजदूरी का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

ठेकेदारों द्वारा ग्रामीण इलाकों में चलाये जा रहे सरकारी सहायता प्राप्त बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रमों में भी मशीनों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है और श्रम कानूनों की अवहेलना की जा रही है जिससे अधिकतम लोगों को रोजगार देने और श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने का उद्देश्य सिर्फ कागज पर धरा रह गया है। डीआरडीए, ब्लॉक, पंचायतें, सभी निकाय सरकारी कार्यक्रमों में ठेकेदारों के तहत काम पर रखे गये मजदूरों की दशा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

दलित मजदूरों के टोलों में शौचालय, पीने का पानी, बिजली, निकासी, संपर्क सड़क जैसी बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं भी नहीं हैं। गांव के अछूत समुदायों को गांव के तालाब, अन्य जल साधनों, घाटों, जंगलों, चारागाहों, श्मशान भूमि, खेल के मैदान, समुदाय घर आदि साझा संसाधनों और संपत्तियों का भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है। दलित महिला मजदूरों को कार्यस्थल पर अक्सर यौन उत्पीड़न झेलना पड़ता है और उन्हें प्रायः न्यूनतम मजदूरी व पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती। ग्रामीण इलाकों और शहरी झोपड़पट्टियों में रहने वाली दलित महिला मजदूरों के लिए प्रसूति लाभ और इलाज जैसी सुविधाएं बहुत आवश्यक हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध भी ऐसी शिकायतें सुनने में आयी हैं कि वे अपने कामकाज में दलितों के साथ भेदभाव करते हैं। दलितों के बच्चों को भी मिड-डे मील कार्यक्रम के दौरान दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता है और दलित रसोइयों को भोजन पकाने की जिम्मेदारियों से दूर रखा जाता है। फलस्वरूप दलित रसोइये सिर्फ झाड़ू-पोछा और बर्तन साफ करने तथा इंधन की लकड़ी इकट्ठा करने का जिम्मा संभालते हैं। गैरसरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, कोऑपरेटिव समूहों, मीडिया और मजदूर संगठनों में दलितों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। समय की मांग है कि इन क्षेत्रों में न केवल दलितों की संख्या बढ़ायी जाए बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में सामाजिक सुरक्षा उपायों को भी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। दलित मजदूर ट्रेड यूनियनों की पहुंच से अकसर बाहर छूट जाते हैं और ये संगठन रोजगार बाजार में उनके साथ होने वाले भेदभाव के मुद्दे को विरले ही कभी उठाते हैं।

सामाजिक सुरक्षा उपायों के जरिये दलितों के लिए एक ऐसा माहौल बनना चाहिए जिसके चलते वे औरों के समान मनुष्यों के तरह इज्जत से जी सकें और कल्याण कार्यक्रमों के महज लाभान्वित बनकर न रह जाएं। सामाजिक सुरक्षा उपायों से उन्हें आगे आकर अपनी बात कहने और नागरिकों के रूप में सारे सवैधानिक आश्वासनों का लाभ उठाने में मदद मिलनी चाहिए क्योंकि ये लोग देश के जीडीपी में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार व नागरिक समाज राष्ट्र निर्माण में दलितों के योगदान को स्वीकार करे और उन्हें उचित सम्मान दे।

मानस जेना एवं के विनय कुमार
एनसीडीएचआर-एनएफडीएलआरएम
ईमेल: nfdlr@gmail.com

सामाजिक सुरक्षा और आदिवासी

हमारे देश में तकरीबन 8 करोड़ आदिवासी हैं। ये विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। ज्यादातर आदिवासी दूर-दराज के अंदरूनी इलाकों में रहते हैं। आदिवासी जिन इलाकों में रहते हैं उनमें से ज्यादातर इलाके विशाल प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं। आदिवासियों की आजीविका, सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान परंपरागत रूप से इन्हीं संसाधनों पर आश्रित रही है। औपनिवेशिक काल से और आजादी के बाद भी भारतीय राज्य प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा कायम रखने के लिए आदिवासियों और उनके अधिकारों पर बार-बार हमले करता रहा है। जमीन, जंगल, पानी और खनिज संसाधनों के लिए हो रहे ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आदिवासियों की संपदाओं का दोहन करके जो समृद्धि और बाहुल्य पैदा किया गया है उसमें आदिवासियों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। बल्कि आदिवासियों को उनकी जमीन से बड़े पैमाने पर उजाड़ा जा रहा है। अपने पुरखों की जमीन से इस बेदखली का सबसे बुरा असर आदिवासी औरतों पर पड़ा है। इस बारे में कोई सहमति नहीं है कि भारत में विकास के नाम पर कुल कितने लोगों को उजाड़ा जा चुका है। कुछ अध्ययनों के मुताबिक 1.85 करोड़ लोगों को उजाड़ा जा चुका है तो कुछ अध्ययनों में ऐसे विस्थापितों की संख्या 5 करोड़ तक बतायी गयी है। इनके अलावा बहुत सारे लोग अप्रत्यक्ष विस्थापन के शिकार हुए हैं। इन सारे अनुमानों में 50 प्रतिशत जनजातीय समुदाय और आदिवासी रहे हैं। जो आदिवासी और जनजातीय समुदाय अभी भी विस्थापित नहीं हुए हैं या जिन्हें वैकल्पिक इलाकों में नहीं ढकेला गया है वे भी विस्थापन की गहरी आशंका और खतरे में जी रहे हैं।

हमारे देश में आदिवासियों को आजीविका अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकारों और सबसे बढ़कर इज्जत की जिंदगी के लिए लड़ने के वास्ते कभी लोकतांत्रिक अवसर और परिधि नहीं मिली है। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक लगभग 85 प्रतिशत आदिवासी सरकारी 'गरीबी रेखा' से नीचे जी रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया है कि देश भर के कुल बंधुआ मजदूरों में से 83 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के होते हैं। जो आदिवासी मुख्य रूप से वन मजदूरों के तौर पर काम करते हैं उन्हें बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। उनके लिए किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। हालांकि वन मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी का अधिकार दिया गया है लेकिन प्रायः उनकी मजदूरी जिंदा रहने के लिए भी काफी नहीं होती। गुजरात और राजस्थान में तो इस रोजगार को न्यूनतम मजदूरी कानून के प्रावधानों से ही बाहर रखा गया है। इन वन मजदूरों को छुट्टी और प्रसूति लाभ जैसे दूसरे लाभ भी नहीं दिये जा रहे हैं। 1969 में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने आदिवासियों के लिए स्थायी आवास और कृषि अधिकारों का सुझाव दिया था। इसके बावजूद सरकार ने आज तक इस बारे में कोई एकसमान नीति लागू नहीं की है।

इस ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हुए आदिवासियों और खासतौर से विस्थापित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ज्यादातर आदिवासियों के पास स्थायी व्यवसाय नहीं होते क्योंकि वे या तो प्रवासी मजदूर या ठेका मजदूर होते हैं या बंधुआ मजदूर होते हैं। विरले ही ऐसा होता है जब उनके पास स्थायी पता-ठिकाना हो जो कि केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए पूर्व शर्त होती है।

लिहाजा, विकास के मौजूदा परिदृश्य में व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक धरातल पर आदिवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की समस्या को समझना बहुत जरूरी है। सभी नागरिकों को बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा मिलनी चाहिए यह बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ सरकार को सरकारी बलों (सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों) द्वारा आदिवासियों पर किये जा रहे हमलों को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि आदिवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की ओर बढ़ा जा सके। ये बहुत जरूरी है कि आदिवासियों को यूनएचआरसी एवं आईएलओ के प्रावधानों के तहत जंगलों, जमीन और नदियों पर दिये गये अविभाज्य अधिकार पूरी तरह बहाल किए जाएं। विस्थापन किसी भी सूत में रुकना चाहिए। आदिवासियों को आजीविका अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें आजीविका क्षति मुआवजे का अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासियों के लिए वृद्धावस्था लाभ, प्रसूति लाभ, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना चिकित्सा लाभ अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए। इस प्रक्रिया में सामुदायिक संगठनों और समुदाय के मुखियाओं की हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए।

अशोक चौधरी

एनएफएफपीएफडब्ल्यू

ईमेल: ashok.chowdhury@gmail.com

महिलाएं और सामाजिक सुरक्षा

मैं अधिकारों के बिना मजदूरी करती हूँ।

- ◆ क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ता है?
- ◆ ज्यादातर औरतें काम करती हैं।
- ◆ लेकिन ज्यादातर औरतों को मजदूर नहीं माना जाता।
- ◆ उनको कोई सामाजिक सुरक्षा या लाभ नहीं मिलता।
- ◆ मजदूर के नाते उनके कोई अधिकार ही नहीं होते!

चाहे उन्हें वेतन मिलता हो या न मिलता हो, ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं। महिलाएं जो काम करती हैं उसके प्रत्यक्ष आर्थिक और सामाजिक महत्व के बावजूद उनका ज्यादातर काम राष्ट्रीय लेखांकन और जनगणनाओं में 'अदृश्य' रह जाता है। और तो और, जब 'अनौपचारिक क्षेत्र' को परिभाषित किया जाता है और जीडीपी में उसका हिस्सा आंका जाता है तो भी उनका श्रम दिखायी नहीं देता। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 1999-2000 पर आधारित अनुमानों के अनुसार भारत के लगभग 11.8 करोड़ असंगठित मजदूर यानी कुल असंगठित मजदूरों में से लगभग एक तिहाई असंगठित मजदूर महिलाएं हैं। अगर ज्यादातर महिलाओं द्वारा किये जाने वाले अवैतनिक श्रम को भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या काफी ऊपर चली जाएगी। भारत में सारी महिला कामगारों में से लगभग 95 प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं।

असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की अनुपस्थिति का अर्थ यह है कि देश भर में महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या अभी भी असुरक्षित है। वर्तमान कानून पारित होने से पहले प्रसारित किये गये असंगठित मजदूरों से संबंधित किसी भी विधेयक में महिलाओं के अवैतनिक श्रम का जिक्र नहीं किया गया था। लिहाजा, असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग में इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन महिला मजदूरों को उनके काम का मेहनताना नहीं मिल रहा है उन्हें भी असंगठित मजदूर के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा की हकदार माना जाए।

असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में न केवल अवैतनिक मजदूरों को बाहर रखा गया है बल्कि ऐसे बहुत सारे भुगतानशुदा कामों को भी छोड़ दिया गया है जिनमें महिला मजदूरों की भरमार है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि असंगठित मजदूरों की परिभाषा में सभी महिला मजदूरों को शामिल किया जाए चाहे वे अवैतनिक घरेलू मजदूर हों, सेक्स वर्कर हों, मनोरंजन कर्मी हों, प्रवासी मजदूर हों - और चाहे वे मौसमी या स्थायी मजदूर हों, फेरी वाली, खेतिहर और शिकारी संग्राहक समुदायों की सदस्य हों।

महिलाओं को रोजगार असुरक्षा की समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। वे मौसमी कामों में काफी रहती हैं। ऐसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है जहां रोजगार लगातार घटते जा रहे हैं जबकि तकनीकी बदलावों, विशाल घरेलू व बहुराष्ट्रीय कंपनियों, भारी आयात, जबरन विस्थापन और सरकारी नीतियों के चलते रोजगार के नये अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। रोजगार की गारंटी महिलाओं के लिए सबसे बुनियादी सामाजिक सुरक्षा आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि महिला मजदूरों को बारहमासी रोजगार मिले और सभी महिला मजदूरों को बेरोजगारी लाभ उपलब्ध हों।

तमाम क्षेत्रों और व्यवसायों में औरत-मर्द की मजदूरी में फर्क अभी भी बना हुआ है। बेशक, असंगठित पुरुष मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है, लेकिन महिला मजदूरों को उनसे भी कम पैसे मिलते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी मजदूरों को जीवन के लिए आवश्यक इतना वेतन जरूर मिले कि वे पर्याप्त स्तर पर जीवनयापन कर सकें। सभी मजदूरों की जीवन आवश्यकताओं के आधार पर मजदूरी तय की जानी चाहिए और जब सभी व्यवसायों और क्षेत्रों में इस आधार पर मजदूरी तय कर ली जाए तो उसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी भी तय की जानी चाहिए और महिला मजदूरों को सभी क्षेत्रों में पुरुष मजदूरों के बराबर न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए।



सभी महिला मजदूरों को स्वतंत्र नागरिकों के नाते सामाजिक सुरक्षा लाभों का अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें घर के कमाऊ पुरुषों या परिवार की साझा आय पर निर्भर नहीं माना जाना चाहिए। असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था में इस बात का जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए कि महिलाओं को परिवार के पुरुष सदस्यों पर आश्रित न माना जाए और ये धारणा खत्म की जाए कि पुरुषों की सामाजिक सुरक्षा के चलते वे खुद-ब-खुद सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाती हैं। प्रत्येक महिला को उसके नाम पर एक श्रमिक पहचान पत्र मिलना चाहिए।

बहुत सारी महिला कामगार कम उम्र में ही वेतनभोगी कामों से छुड़ी ले लेती हैं क्योंकि वे बीमार रहने लगती हैं या उन्हें एक उम्र के बाद काम मिलना बंद हो जाता है। सुरक्षा प्रावधानों के अभाव में बुढ़ापा बेहद असुरक्षित रह जाता है। लिहाजा, असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा में सेवानिवृत्त कामगारों, विधवाओं व एकल महिलाओं के लिए उचित पेंशन का भी इंतजाम किया जाना चाहिए और उन्हें उचित वृद्धावस्था सहायता दी जानी चाहिए। उनको मिलने वाली पेंशन की रकम जीवनोचित मजदूरी पर आधारित होनी चाहिए और वह सीधे संबंधित मजदूर को मिलनी चाहिए।

एक औरत के सबसे उत्पादक साल वे होते हैं जब वह बच्चे पैदा करने में सक्षम होती है। ऐसे दौर में प्रसूति लाभों के अभाव का परिणाम अक्सर यह होता है कि महिला कामगार को बच्चा पैदा करने और पालने के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। क्योंकि हमारे देश में गरीबों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है इसलिए ज्यादातर महिलाओं को बिना डॉक्टरी देखभाल के घर पर ही बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। बहुत सारी महिलाएं और उनके परिवार वाले अस्पताल का खर्चा उठाने की स्थिति में नहीं होते। यदि वे अस्पताल में भर्ती होने का फैसला लेते हैं तो भी वहां ईलाज पर होने वाले खर्चे और रोजगार के नुकसान की वजह से ज्यादातर महिलाओं की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाती है। प्रसूति लाभों की अनुपस्थिति का एक परिणाम ये होता है कि महिला गर्भावस्था से पहले और पश्चात अपनी खुराक का सही ध्यान नहीं रख पाती और न ही उसे पूरा आराम मिल पाता है। इसके अलावा, बच्चे को जन्म देने के बाद उसे फौन काम पर भी लौट जाना पड़ता है। लिहाजा, असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी महिला मजदूरों को वेतन-सहित छुट्टी और सारे प्रसूति लाभ मिलें चाहे कोई महिला नौकरी कर रही हो या नौकरी न कर रही हो। ऐसी सभी महिलाओं को अस्पताल और ईलाज का पूरा खर्चा मिलना चाहिए और कम से कम 12 हफ्ते का वेतन सहित प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए। प्रसव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सुविधा का भी आश्वासन मिलना चाहिए ताकि मां की सेहत बनी रहे।

बच्चों की देखभाल का इंतजाम न होने की वजह से महिलाओं पर काम का बोझ कई गुना बढ़ जाता है। इससे उनकी सेहत पर तो फर्क पड़ता ही है, कामकाज में उनकी हिस्सेदारी और योगदान भी सीमित रह जाता है। इसी वजह से, असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था में महिला मजदूरों के बच्चों की देखभाल का इंतजाम शामिल किया जाना चाहिए। मां और बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि जब मां काम पर जाने लगे तो उसे अपने बच्चे की देखभाल के लिए समय-समय पर काम से अवकाश दिया जाए।

महिला कामगारों के लिए उनकी अपनी सेहत और काम करने की काबिलियत ही एकमात्र ऐसा सहारा होते हैं जो संकट में उनके काम आते हैं। इस लिहाज से उनकी स्थिति बहुत नाजुक होती है क्योंकि परिवार में उनकी सेहत और पोषण संबंधी जरूरतों को सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है। गरीब परिवारों की महिलाओं को तो ईलाज की सबसे कम अवसर मिलते हैं। असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था में उनके स्वास्थ्य की देखभाल का पूरा इंतजाम होना चाहिए। इस क्रम में उन्हें छोटी-बड़ी बीमारियों और कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना जैसी आपात स्थितियों में ईलाज व सुरक्षा की व्यवस्था और एचआईवी/एड्स जैसी गैरआपद स्थितियों से निपटने की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा सरकार/राज्य (जिला परिषद/नगर पालिका/नगर निगम) की ओर से मानसिक स्वास्थ्य एवं विकलांग महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान (काउंसलिंग, कानूनी सहायता, रोजगार प्रशिक्षण आदि) किए जाने चाहिए और घरेलू हिंसा, यौन हमले और मानव व्यापार की शिकार लड़कियों व महिलाओं के लिए अल्पआवास गृह और अन्य सहायता व्यवस्था होनी चाहिए।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और हिंसा सभी महिला मजदूरों के सामने एक बहुत बड़ा खतरा होती है। असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुनवाई की व्यवस्था विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक हो। इस व्यवस्था में असंगठित महिला मजदूरों की खास चिंताओं पर अलग से ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी महिला कामगार-शिकायतकर्ता की रोजगार सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए।



आमतौर पर महिलाओं के पास जमीन या संपत्ति का मालिकाना हक नहीं होता। असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी लाभ जमीन या संपत्ति के स्वामित्व से बंधा न हो और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के तहत सभी आवास योजनाओं में यह सुनिश्चित किया जाए कि आवास स्वामित्व या तो महिलाओं के नाम पर हो या संयुक्त स्वामित्व में हो।

केवल अंशदान आधारित, सामाजिक बीमा किस्म की योजनाओं के जरिए वृद्धावस्था, विकलांगता पेंशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद नहीं रहेगी क्योंकि ज्यादातर महिलाएं या तो अवैतनिक रोजगार में होती हैं या उनको बहुत कम मेहनताने वाली नौकरियां मिलती हैं। ज्यादातर महिलाओं के कामकाजी जीवन में भी बच्चे के जन्म और घरेलू कामों की वजह से बार-बार व्यवधान आते रहते हैं। लिहाजा, ऐसी योजनाओं में अंशदान की उनकी क्षमता, और वह भी नियमित अंशदान की क्षमता, बहुत कम रहती है।

असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था में सभी महिलाओं को आधार स्तरीय सामाजिक सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए भले ही वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान देने की स्थिति में हों या न हों। आधार स्तरीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं को खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं, पर्याप्त आवास व शिक्षा, खासतौर से लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था जरूर शामिल होनी चाहिए।

महिला कामगारों को किसी भी क्षेत्र में प्रायः सबसे कम मजदूरी मिलती है। उन्हें अक्सर लोग अकुशल मजदूर कह कर हाशिए पर धकेल देते हैं। यदि यह बात सही है तो इसका मतलब है कि महिला कामगारों के लिए बहुत व्यापक और लगातार निपुणता सुधार के लिए प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा में इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिए कि निपुणता विकास के अवसरों से सभी महिलाओं को श्रम बाजार में दाखिल होने का मौका मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

महिला कामगारों को श्रम कानूनों के संचालन व क्रियान्वयन से संबंधित फैसलों में प्रायः हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है। अगर कोई मसला मजदूरों और नियोक्ताओं की समान सहभागिता के प्रावधान पर आधारित है तो भी महिलाओं को बाहर ही रखा जाता है। लिहाजा, असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस विधेयक के प्रारूप निर्धारण, संचालन व क्रियान्वयन के सभी चरणों में महिला मजदूरों को पर्याप्त और आनुपातिक हिस्सेदारी मिलेगी। किसी प्रकार की शिकायत और असंतोष को दूर करने की व्यवस्था भी महिलाओं की स्थिति के अनुकूल होनी चाहिए।

पीडब्ल्यूईएससीआर

pwescr@pwescr.org

प्रवासी एवं सामाजिक सुरक्षा

सबसे ज्यादा प्रवासी कामगार भेजने वाले देशों में भारत को काफी ऊपर शुमार किया जाता है (विश्व विस्थापन रिपोर्ट 2005 के अनुसार दूसरे देशों में भारत से दो करोड़ प्रवासी जाते हैं)। ऐतिहासिक रूप से कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल भारतीय पुरुष एवं महिला कामगार दुनिया के अलग-अलग इलाकों में जाते रहे हैं। दूसरे देशों में भारतीय नागरिकों के जाने की घटनाओं के पीछे सामाजिक तनाव, सुरक्षा और आपदा जैसी विवशताएं अक्सर महत्वपूर्ण रही हैं लेकिन इसी तरह के कई गंभीर कारण बहुत सारे लोगों को भारत की ओर भी धकेलते हैं। पूरे दक्षिण एशिया में भारत की ठोस और स्थिर राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी लोगों को यहां आने के लिए प्रेरित करती है। पिछले एक-डेढ़ दशक के दौरान पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के श्रम बाजारों में नए विकल्प पैदा हुए हैं और भारतीय राज्य चाहता है कि भारतीय मजदूर इन मौकों का फायदा उठाएं। इस आवाजाही में वैश्वीकरण का आधारभूत अंतर्विरोध अभी भी बना हुआ है। अंतर्विरोध ये है कि पूंजी और वस्तुओं के सीमारहित विनिमय को तो बढ़ावा दिया जा रहा है परंतु जैसे ही मनुष्यों की आवाजाही का सवाल आता है, तमाम देश सीमाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस आवाजाही पर तरह-तरह की बंदिशें लगाने लगते हैं।

विभिन्न देशों से भारत में आने वाले प्रवासियों की संख्या बहुत बड़ी है। दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों के मामले में भारत 2005 में दुनिया में आठवें नंबर पर था। ये आंकड़े यूनाइटेड नेशंस ट्रेड्स इन माइग्रेट स्टॉक: ए 2005 रीविजन नामक रिपोर्ट में जारी किए गए हैं। इस सूची में सबसे पहले आठ देशों का क्रम इस प्रकार था -- अमेरिका (3.84 करोड़), रूसी संघ (1.21 करोड़), जर्मनी (1.01 करोड़), यूक्रेन (68 लाख), फ्रांस (65 लाख), सऊदी अरब (64 लाख), कनाडा (61 लाख) और भारत (57 लाख)। भारत आने वाले प्रवासियों में नेपाली और बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। फिर भी, भारत की क्षीण सीमाओं और सरहद पार जाने-आने के लिए गैरदस्तावेजी प्रवेश माध्यमों की बहुतायत के कारण ये माना जा सकता है कि ऐसे प्रवासियों की असली संख्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी।

पिछले कुछ दशकों के दौरान वैश्विक विनिमय और राजस्व संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रवासन को गरीबी से छुटकारा पाने का भी एक तेज माध्यम माना जाने लगा है। अध्ययनों से पता चलता है कि यदि पिछले 30 साल के वैश्विक रुझान जारी रहे तो औद्योगिक देशों में होने वाले पलायन का मूल्य 2025 में 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा और इसमें विकसित व विकासशील देशों का बराबर हिस्सा होगा (विश्व बैंक 2006)। इस लाभ का ज्यादातर हिस्सा श्रम बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अकुशल मजदूरों के पलायन से सामने आ रहा होगा।

प्रवासी मजदूरों को तमाम तरह की कठोर, असुरक्षित और हानिकारक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वे अमानवीय परिस्थितियों में रहते व काम करते हैं और उन्हें आधारभूत मानवाधिकारों व श्रम अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। ऐसे मजदूरों और उनके परिवारों को राज्य की ओर से ठोस सामाजिक सुरक्षा की दरकार रहती है। सीमा पार जाने वाले प्रवासी भारतीय मजदूरों को उनके लक्ष्य देश में सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से वंचित रखा जाता है क्योंकि वे वहां असंगठित टेम्पररी मजदूर होते हैं। इन देशों में वे निर्माण, साफ-सफाई, घरेलू नौकरी, उप-चिकित्सकीय कार्यों, बचाव कार्यों में अतिथि कामगार आदि की हैसियत से काम करते हैं। इनके अलावा बहुत सारे लोग स्वरोजगारों या सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे मजदूरों के परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा के लाभ नहीं मिलते। बाहर से लौटने वाले प्रवासियों को यहां भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले प्रवासी भी इसी तरह की कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। भारत में ही उन्हें अंधराष्ट्रवाद जैसे तमाम तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती।

प्रवासी मजदूर आर्थिक तरक्की और खुशहाली का रास्ता तो खोलते हैं लेकिन उन्हें खुद ईलाज, वृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना के समय देखभाल और मुआवजा, प्रसूति लाभ, बेरोजगारी कवर आदि सामाजिक सुरक्षाओं का अधिकार नहीं मिलता जो आमतौर पर संगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को मिला होता है।

अनुमान लगाया जाता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से पिछले कुछ सालों के दौरान तीन करोड़ से ज्यादा मजदूर

अपनी नियमित नौकरी गंवा चुके हैं। उनमें से ज्यादातर अब बहुत कम मजदूरी पर अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां कर रहे हैं जहां सामाजिक सुरक्षा की स्थिति भयावह है। निर्माण उद्योग में मंदी, खेती में गिरावट और जरूरत से ज्यादा श्रम की आपूर्ति के कारण चारों तरफ भारी छंटनी या नौकरियों की अनुपलब्धता के हालात पैदा हुए हैं। इसके चलते कामकाजी गरीब दिन पर दिन और गरीब होते जा रहे हैं। इन बदलावों की सबसे बुरी मार उन 35 करोड़ असंगठित अंतर्राज्यीय एवं अंतःराज्यीय प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है जो निर्माण, घरेलू सेवाओं, परिधान, परिवहन, विनिर्माण, पर्यटन एवं मनोरंजन क्षेत्रों में तथा विभिन्न सेवाओं में स्वरोजगारी कामगारों के तौर पर काम कर रहे हैं। मध्य-पूर्व और अन्य विकासशील देशों में जिस तरह नौकरियां खत्म हुई हैं उससे भी बहुत सारे मजदूर मायूस होकर भारत लौट रहे हैं। नौकरी व आजीविका खत्म हो जाने से बड़ी संख्या में मजदूर वापस लौटे हैं जिसके कारण भारत में मजदूरों की असुरक्षा और बढ़ गई है। इसके चलते सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी पहले से ज्यादा कमजोर हुई है।

सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र को कायम रखने और उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी से हाथ खींचने का प्रयास कर रही है। इस नीति के चलते स्थिति काफी खराब होती जा रही है और बहुत सारे मजदूर सामाजिक रूप से बेहद असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। नरेगा और अन्य परोपकारी किस्म की योजनाएं भी सिर्फ दिखावा साबित हुई हैं क्योंकि इन योजनाओं की निर्णय प्रक्रिया और संचालन में मजदूर संगठनों व जनसंगठनों को कतई शामिल नहीं किया गया है। आर्थिक संकट ने भारत के लिए इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है क्योंकि विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थान लोक नीति पर सरकारी नियंत्रण को लगातार कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर रहे हैं कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों से हाथ खींच ले और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा निजी बीमा बाजार को सौंप दिया जाए।

असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएसए) 2008 में न तो सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना के लिए किसी उल्लेखनीय राजकीय अंशदान का कोई संकेत दिया गया है और न ही मजदूरों के ईलाज, पेंशन, प्रसूति लाभ आदि के लिए असरदार प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में बेरोजगारी भत्ते और आजीविका क्षति के लिए मुआवजे की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस कानून में असंगठित सीमा-पार टेम्पररी प्रवासी मजदूरों (आने वाले और जाने वाले, दोनों) को शामिल नहीं किया गया है। लिहाजा, इस कानून में असंगठित मजदूर की जो परिभाषा दी गई है उसमें इन 'सीमा-पार' प्रवासी मजदूरों को भी एक उप-अनुच्छेद के रूप में इस प्रकार शामिल किया जाना चाहिए : सीमा-पार प्रवासी मजदूर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से असंगठित मजदूर माना जाएगा और भारत में उसके परिजनों को भी इस व्यवस्था के तहत रखा जाएगा। इस कानून में विशेष सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों (भारत में और विदेशों में रहने वाले भारतीय सीमा पार प्रवासी मजदूरों और अंतर्राज्यीय प्रवासियों के लिए) के निर्धारण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इन मजदूरों और उनके परिवारों के सामने आने वाली सभी विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सके।

सौजन्य : सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)

ईमेल: cec@cec-india.org

सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण : 10% कटौती का विकल्प

10% कटौती का विकल्प या 10% ऑप्शन स्थानीय एवं वैश्विक मानव सुरक्षा में सुधार के लिए एक साझा प्रभावी प्रयास हो सकता है। यदि सभी देशों के सैनिक व्यय और हथियारों के व्यापार में 10 प्रतिशत कटौती की जाए और उस पैसे को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खर्च किया जाए तो हालात काफी बेहतर हो सकते हैं। सार्वभौमिक मानवाधिकारों की सूची में इंसानी सुरक्षा को काफी ऊपर जगह दी गई है। मानव सुरक्षा की बुनियादी जरूरत केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकारों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सभी तरह की आर्थिक और सामाजिक असुरक्षाओं से बचाव भी शामिल है क्योंकि ये असुरक्षाएं लोगों के दैनिक जीवन को बहुत हिंसक ढंग से तबाह कर देती हैं। गरीबी के रूप में सबसे भयानक असुरक्षा को दूर करना वैश्विक मानव सुरक्षा कार्य सूची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सभी ऐतिहासिक अनुभव इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि जब तक लोगों को इस बात के लिए गोलबंद नहीं किया जाएगा कि वे अपनी मांगों के लिए आवाज उठाएं, वे सार्वजनिक रूप से विरोध और बहस करें, वे राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियों व नीतियों पर खुलकर अपनी राय दें तब तक कोई सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। सामाजिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि लोग आपस में गहरे तौर पर जुड़े मूलभूत मानवाधिकारों, सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों पर खुल कर बात करें। इन अधिकारों को गरीबी का प्रभावी ढंग से सामना करने और एक समुचित लोकतंत्र विकसित करने के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।

दुख की बात है कि बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फौजीकरण के जरिए संकुचित किया जा रहा है। हथियारों की बढ़ती होड़, फर्जी या कृत्रिम राष्ट्रवादी शत्रुताओं और “युद्ध नीति व उद्योगों” के विस्तार से राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में सैनिक हितों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। 10% कटौती के विकल्प द्वारा “हथियारों में कमी और अधिकारों में इजाफे” की जो मांग उठाई गई है वह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए फौजीकरण पर अंकुश लगाया जा सकता है और लोकतांत्रिक व सामाजिक सुधारों का सूत्रपात किया जा सकता है।

स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता हर रोज इस बात को समझते और महसूस करते हैं कि अभाव और भय से मुक्ति की चाह में अधिकारों की बहाली के लिए अहिंसक संघर्ष छेड़ने के वास्ते गरीबों का सशक्तिकरण कितना महत्वपूर्ण है। व्यापक आबादी और खासतौर से युवाओं में आतंकवाद के विभिन्न रूपों के बढ़ते असर को लेकर गहराती चिंताओं के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अहिंसा की संस्कृति को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा मानना है कि जब तक लोकतांत्रिक कार्यसूची को सामाजिक टकरावों के अहिंसक समाधान हेतु एक स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक इन सारी कोशिशों से ज्यादा नतीजे निकलने वाले नहीं हैं। जब तक अंतर्राष्ट्रीय टकरावों से निपटने के लिए हिंसा को एक वाजिब प्राथमिकता और साधन के रूप में मान्यता मिलती रहेगी तब तक अहिंसक रास्ते पर चलने की कोशिशें कारगर साबित नहीं हो पाएंगी।

लिहाजा, जरूरत इस बात की है कि 10% कटौती के विकल्प को समर्थन देकर अहिंसा के एजेंडे को राज्यों की कार्यसूची में भी शामिल किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गैर-आक्रामक नीतियां अपनाई जाएं, हथियारों के उत्पादन और व्यापार में कमी लायी जाए, क्षेत्रीय सहयोग समझौतों के जरिए ‘युद्ध मुक्त क्षेत्र’ स्थापित किए जाएं।

भारी सैनिक खर्चों और विकास के मद में बहुत मामूली व्यय के बीच भारी असंतुलन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। वैश्विक स्तर पर फौजों और हथियारों के मद में हो रहे व्यय बढ़ते जा रहे हैं और अब सालाना 1100 अरब डॉलर से ऊपर जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र अनुमानों के अनुसार अगर इस खर्च में केवल 10% कटौती कर दी जाए तो दुनिया भर से गरीबी खत्म की जा सकती है।

इस तरह, 10% का विकल्प राष्ट्रीय बजट और सार्वजनिक निवेशों में एक नया संतुलन कायम करने की संभावनाओं और लाभों की पड़ताल का एक तार्किक साधन है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं का आकलन किया जा सकता है, ज्यादा सुरक्षित और किफायती रक्षा नीतियां अपनाई जा सकती हैं, सामाजिक विकास के क्षेत्र में निवेश

बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है और गरीबी से निपटने, विकास की ओर बढ़ने तथा बर्बर असमानताओं को दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षाओं को एक प्रमुख अहिंसक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

जहां तक फौजी एवं शस्त्र नीतियों का सवाल है तो बहुत थोड़े से लोगों को ही वास्तव में ऐसी सूचनाओं और फैसलों के बारे में सही जानकारी है जो दुनिया के अरबों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती हैं और जिनके चलते सार्वजनिक धन की भारी बर्बादी होती है। इस तरह के अहम मसलों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण का अभाव न तो सुरक्षित है और न ही स्वस्थ है। इससे यह आश्वासन नहीं मिलता कि निहित स्वार्थी तत्व लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालकर इस तरह के आंकड़ों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसी तरह, सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन और अनुदान आवंटन पर नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है।

इस क्रम में 10 प्रतिशत का विकल्प सूचनाओं के संचार को बढ़ाने और लोक सुरक्षा से संबंधित नीतियों पर व्यापक बहस-मुवाहिसे में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों व सामाजिक ताकतों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बहुतराष्ट्रीय संधियों और समझौतों में निशस्त्रीकरण नीतियों को निर्धारित व संचालित करने की सबसे प्रासंगिक रूपरेखा दी गई है। यह चिंता की बात है कि दुनिया के लोगों की बहुसंख्या और ज्यादातर देश अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतों और सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाले देशों द्वारा अपनाई गई समझदारी और पोजीशन पर ही निर्भर हैं। इस संदर्भ में भी 10% कटौती का टिकाऊ विकल्प ऐसे एकतरफा फैसलों का दरवाजा खोलता है जो बहुपक्षीय प्रयासों को पुष्ट कर सकते हैं, नई राष्ट्रीय नीतियों का सूत्रपात कर सकते हैं और उत्तर व दक्षिण के उन देशों के बीच अंतराष्ट्रीय साझेदारियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जो आणविक एवं अन्य जनसंहारक हथियारों के बिना ज्यादा स्वायत्त रक्षा नीतियों की जरूरत महसूस करते हैं, जो हथियारों की होड़ और युद्ध उद्योग पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, जो आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता में इजाफा करना चाहते हैं और सभी नागरिकों के लिए मूलभूत सामाजिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित करना चाहते हैं।


10% का विकल्प दीर्घकालिक सामाजिक निवेश के लिए आसानी से उपलब्ध सार्वजनिक वित्तपोषण की व्यवस्था करता है। उदाहरण के लिए: भारत में 10 प्रतिशत की यह कटौती असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के वित्तपोषण का साधन बन सकती है जिस पर संसद में बहस चल रही है।

लिहाजा 10% का विकल्प किसी भी आकार के किसी भी देश को इस बात की संभावना देता है कि वह अंतराष्ट्रीय दबाव और असर से बचते हुए एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़े जो फौजी बल पर आधारित नहीं होगा बल्कि शांति और सामाजिक न्याय की कार्यसूची के प्रति नैतिक व राजनीतिक प्रतिबद्धता से संचालित होगा। केवल इसी तरह विभिन्न देश एक वैश्विक मानव सुरक्षा की ओर तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।

फेदिना

इस लेख का पूरा पाठ <http://www.fdb.org/The-10-Option-towards-a-global-new.html?lang=en> पर देखा जा सकता है।

ईमेल: fedinabl@gmail.com





**Social
Security
Now!**

**POORA KAAM, POORA DAAM
POORI SURAKSHA, POORA MAAN**

Bihar Chamber of Commerce, Anta Ghat (Near Gandhi Maidan)
Near Patna District Magistrate Office
Patna, Bihar

Conceived by: The Information and Feature Trust, New Delhi

Design: Aspire Design

Printed at: Verma Printographics